

फा.सं. 16/1/48/2012-आईआर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015

आदेश

विषय: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती के संबंध में समिति का गठन - के संबंध में।

रिट याचिका सं. 2825/2012 में बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप कैम्पस भर्ती पर पाबंदी होने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती के मुद्दे पर सुझाव देने हेतु सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है:

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए. पी. शाह | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री जयंत दासगुप्ता, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी | - | सदस्य |
| (iii) | श्री एम. वी. नायर, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
यूनियन बैंक आफ इंडिया | - | सदस्य |

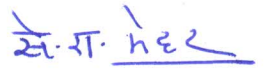
2. समिति के विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्नानुसार हैं:-

- (i) कैम्पस भर्ती पर पाबंदी के उपरांत सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मध्यम स्तर पर प्रतिभा की कमी के मुद्दे पर विचार करना
- (ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सक्षम लोगों की भर्ती हेतु क्रियाविधि का सुझाव देना।

3. समिति से अनुरोध है कि वह उपर्युक्त मुद्दे पर अपनी सिफारिशें शीघ्र ही दें तथा अपने कार्य के विनियमन (रेगुलेशन) हेतु समिति प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी। समिति को आवश्यक सचिवालयी, लोजिस्टिक और अन्य सहायता भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

4. इसे माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

भवदीय,



(एस. आर. मेहर)

उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. ✓ सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए. पी. शाह, 1, जनपथ, नई दिल्ली (ajitprakashshah@gmail.com)
2. श्री जयंत दासगुप्ता, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी, एल-52, निवेदिता कुंज, सेक्टर-10, आर के पुरम, नई दिल्ली (dasgupta.jayant@gmail.com)
3. श्री एम. वी. नायर, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, 1902, ए - विवारिया, जैकब सर्कल, सेन गुरुजी मार्ग, महालक्ष्मी, मुम्बई-400011 (mvnair52@gmail.com)

प्रतिलिपि:

- (i) वित्त मंत्री के निजी सचिव/वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी।
- (ii) सचिव (वित्तीय सेवाएं) के प्रधान निजी सचिव।
- (iii) अध्यक्ष, आईबीए, मुम्बई को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु।
- (iv) अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक।